R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 9 ♦ मार्च 2018

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार लक्ष्य और वर्गीकरण

रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को निर्णय लिया कि वित्त वर्ष 2018-19 से लघु और सीमांत किसानों को उधार देने हेतु समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र राशि के सममूल्य ऋण (सीईओबीई), इनमें से जो भी अधिक हो, के 8 प्रतिशत का उप लक्ष्य 20 या उससे अधिक की शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए लागू होगा। साथ ही, बैंकों द्वारा माइक्रो उद्यम को उधार देने हेतु एएनबीसी अथवा सीईओबीई, इनमें से जो भी अधिक हो, के 7.50 प्रतिशत का उप लक्ष्य, वित्त वर्ष 2018-19 से 20 या उससे अधिक की शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए भी लागू होगा।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आलोक में तथा हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में वर्गीकरण के लिए वर्तमान में लागू माइक्रो/लघु और मध्यम उद्यम (सेवा) के प्रत्येक उधारकर्ता को क्रमशः 5 करोड़ तथा 10 करोड़ की ऋण सीमा को हटा दिया जाए। तदनुसार, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उपकरणों में निवेश के अनुसार परिभाषित एवं सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रदान करने में लगे एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण बिना किसी क्रेडिट सीमा के प्राथमिकता-प्राप्त के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र होंगे।

पृष्ठभूमि

इससे पहले यह निर्धारित किया गया था कि 2017 में समीक्षा के बाद 2018 के पश्चात, छोटे और सीमांत किसानों और लघु उद्यमों को ऋण देने के लिए उप-लक्ष्य विदेशी बैंकों के साथ 20 शाखाओं और उससे ऊपर के लिए लागू किए जाएंगे। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11223Mode=0)

मुद्रा प्रबंधन

मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को यह निर्णय किया कि, कैश रिसायकलर तथा केवल कम मूल्यवर्ग के नोट वितरण करने वाले एटीएम की स्थापना के लिए बैंकों को दिए गए प्रोत्साहन को बंद किया जाए।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों की ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उनके मुद्रा परिचालन में तकनीकी समावेश को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा स्थापित की गई विभिन्न मशीनों हेतु समय समय पर प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है । यह पाया गया है कि इस योजना के उद्देश्यों को काफी हद तक प्राप्त किया जा चुका है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11224Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

कमोडिटी मूल्य जोखिम और माल-भाड़ा जोखिम का हेजिंग

रिज़र्व बैंक ने 12 मार्च 2018 को निर्णय किया कि पहले दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर अनुशंसित मार्ग के तहत रिज़र्व बैंक के विशेष अनुमोदन के तहत निवासियों को कमोडिटी मूल्य जोखिम और माल भाड़ा जोखिम के हेजिंग को जारी रखने की अनुमति 30 जून 2018 तक या अनुमोदन में निर्दिष्ट अंतिम तिथि, जो भी पहले हो तक दी जाएगी।

पृष्ठभूमि

रिजर्व बैंक ने पहले विदेशी मुद्रा बाजार में कमोडिटी मूल्य जोखिम और माल-भाड़ा जोखिम के हेजिंग पर एक कार्य समूह गठित किया था (अध्यक्ष: श्री चंदन सिन्हा)। कार्य समूह की रिपोर्ट और रिपोर्ट पर प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, कमोडिटी मूल्य जोखिम और माल-भाड़ा जोखिम के ड्राफ्ट निर्देश को टिप्पणी के लिए 12 जनवरी 2018 को जारी किया गया। टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा बाजार में कमोडिटी मूल्य जोखिम और माल-भाड़ा जोखिम (रिज़र्व बैंक) निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11226Mode=0)

व्यापार ऋणों हेतु एलओयू तथा एलओसी को समाप्त करना

रिज़र्व बैंक ने 13 मार्च 2018 को यह निर्णय लिया गया है कि भारत में आयात पर दिये जाने वाले व्यापार ऋणों हेतु प्राधिकृत व्यापारी (ए.डी.) श्रेणी-I बैंकों द्वारा वचन-पत्र (एल.ओ.यू) और चुकौती आश्वासन-पत्र (एल.ओ.सी) जारी करने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11227Mode=0)

आईआरएफ और एफपीआई की अलग-अलग सीमाएं

रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को बाजार के आगामी विकास की सुविधा के लिए और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की पहुंच ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) तक निरंतर रहना सुनिश्चित करने के लिए, आईआरएफ में एफपीआई की बिक्री से अधिक खरीद की स्थिति के लिए ₹ 5000 करोड़ की अलग सीमा आवंटित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, निर्देश निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं:

''भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को निम्नलिखित शर्त के अधीन ब्याज दर फ्यूचर्स को खरीदने या बेचने की अनुमति है:

- सभी एफपीआई की सकल लंबी स्थिति, जिनमें से प्रत्येक के पास किसी भी आईआरएफ उपकरण में सकल लंबी स्थिति है, जो सभी आईआरएफ उपकरणों में एकत्रित ₹ 5000 करोड़ से अधिक नहीं है, और

- किसी भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की कुल सकल छोटी (बिक्री) स्थिति सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) और ब्याज दर फ्यूचर्स में अपनी समेकित लंबी स्थिति से किसी भी समय में, अधिक नहीं होगी''.

सरकारी प्रतिभूति में (वर्तमान में ₹ 3,01,500 करोड़) में एफपीआई द्वारा निवेश के लिए निर्धारित सीमाएं सरकारी प्रतिभूति में निवेश के लिए विशेष रूप से उपलब्ध होगी। मौजूदा आईआरएफ निर्देशों के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

पृष्ठभूमि

वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एफपीआई की सीमा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के बीच और आईआरएफ में निवेश के बीच प्रतिस्थापित है। आईआरएफ में एफपीआई की लंबी स्थिति की सरकारी प्रतिभूति में 90% तक सीमित उपयोग पर पहुंचने पर स्वीकृत नहीं है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11225Mode=0)

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण

सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणी (रिटर्न)

भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 मार्च 2018 को यह निर्णय लिया कि सभी सरकारी स्वाधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां रिज़र्व बैंक के पास आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए एक रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करेंगे। यह रिटर्न ऐसे एनबीएफसी के बही-खातों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया जाएगा और संबंधित एनबीएफसी के निदेशक मंडल द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत एनबीएफसी के अधिकारी द्वारा आरबीआई में ऑनलाइन (कॉसमॉस सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रयोग करके) भरा जाएगा। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11229Mode=0)

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना

रिज़र्व बैंक ने 19 मार्च 2018 को भारत सरकार से परामर्श कर निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मार्च 2018 के अवशिष्ट लेनदेनों का समापन करने की तारीख 10 अप्रैल 2018 होगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 की आगामी सरकारी लेखाबंदी को ध्यान में रखते हुए प्राप्तकर्ता शाखाओं में विशेष संदेशवाहक व्यवस्था जैसे कूरियर सेवा आदि प्रारंभ करें, जो प्राप्तकर्ता शाखाएं स्थानीय नहीं हैं, वहाँ पर भी नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं में चालान/स्क्रॉल आदि पारित करने के लिए कूरियर सेवा आदि जैसी विशेष व्यवस्था की जाए ताकि मार्च के अंत तक सरकार के लिए किए गए सभी भुगतान और संग्रह उसी वित्तीय वर्ष में लेखांकित किए जा सकें।

नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा अप्रैल में मार्च 2018 के लेनदेनों की रिपोर्टिंग करने हेतु शाखाओं को निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना सूचित किया गया। संक्षेप में, नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं से अपेक्षित होगा कि वे इस प्रयोजनार्थ अलग-अलग स्क्रॉल बनाएं अर्थात मार्च 2018 माह के अवशिष्ट लेनदेन के लिए पहला और अप्रैल 2018 माह के पहले 10 दिनों के लेनदेन के लिए दूसरा। नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 31 मार्च 2018 तक प्राप्तकर्ता शाखाओं में किए गए सभी लेनदेनों (राजस्व/कर संग्रहण/भुगतान) से संबंधित खाते वर्तमान वित्तीय वर्ष के खातों में ही प्रभावी कर दिए जाएं और इन्हें अप्रैल 2018 के लेनदेन के साथ मिलाया न जाए। साथ ही मार्च 2018 के लेनदेन को 10 अप्रैल 2018 तक रिपोर्ट करते समय, अप्रैल 2018 के लेनदेन को मार्च के बकाया लेनदेन के साथ मिलाया न जाए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11230Mode=0)

बैंकिंग विनियमन

बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

रिज़र्व बैंक ने 28 फरवरी 2018 को अपनी वेबसाइट पर बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन पर चयनित 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जनवरी 2018 माह के एकत्र आंकड़े उपलब्ध कराए जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विनियोजित कुल गैर-खाद्य ऋण में लगभग 90 प्रतिशत का हिस्सा रखते हैं ।

मिन्ट स्ट्रीट मेमो

कार्यशील पूंजी के लिए बाधाएं तथा निर्यातः जीएसटी रोल-आउट से साक्ष्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 फरवरी 2018 को अपनी वेबसाइट पर मिन्ट स्ट्रीट मेमो श्रृंखला के अंतर्गत दसवां प्रकाशन कार्यशील पूंजी के लिए बाधाएं तथा निर्यातः जीएसटी रोल-आउट से साक्ष्य शीर्षक से उपलब्ध कराया जो सौरभ घोष, शेखर तोमर और संकल्प माधुर द्वारा लिखा गया है।

मेमों विश्लेषण करता है कि वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) की नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कार्यान्वयन और रिफंड से फर्मों के लिए कार्यशील पूंजी चुनौतियां बढ़ गई हैं जो आगे अक्तूबर 2017 में उनके निर्यात को हानि पहुचांई होगी। इस अनुमान के समर्थन में हम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जिसमें निर्यात पर क्षेत्रकीय आंकड़ों का उपयोग किया गया है और ऐसे क्षेत्र ढूंढ़ते हैं जिनमें कार्यशील पूंजी उच्च रही और जो इस अवधि के दौरान उच्च स्तर पर रहे। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि तब से सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों से निर्यातकों की चिंता काफी कम हुई है जो नवंबर और दिसंबर 2017 में हुई निर्यात वृद्धि में प्रतिलक्षित हुआ।

सुधार होना

अक्तूबर, नवंबर 2017 में निर्यात के निराशाजनक कार्यनिष्पादन के बाद 30.55 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि देखी गई। यह पिछले दो वर्षों में निर्यात में देखी गई सबसे बड़ी वृद्धि दर थी। निर्यात में इस सुधार के दो संभाव्य कारण हैं: (i) जीएसटी रिफंडों और निर्यात रियायतों (सोप्स) की तीव्र-ट्रेकिंग और (ii) नवंबर 2016 में निर्यात वृद्धि का कम आधार।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि अल्पकालिक नकदी प्रवाह का असर निर्यात क्षेत्रों में कंपनियों को कैसे प्रभावित कर सकता है,जिसे आम तौर पर आर्थिक रूप से मजबूत माना जाता है। हमने दिखाया है कि उच्च कार्यशील पूंजी / बिक्री अनुपात वाले निर्यात योगदान क्षेत्र इन तरलता की कमी के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। निर्यातकों की चिंताओं को दूर करने के लिए नवंबर में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों से भी यह पुष्टि हुई है। आखिरकार, नवंबर 2017 में निर्यात फिर से शुरू हुआ जो कि यह दर्शाता है कि इन त्वरित उपायों ने अक्तूबर 2017 के दौरान निर्यातकों द्वारा अस्थायी ऋण की कमी को आंशिक रूप से हल किया गया । (https://www.rbi.org.in/Scripts/MSMšMintstreetmemos10.aspx)

भाषण

बैंकिंग विनियामकीय शक्तियां स्वामित्व निरपेक्ष होनी चाहिए: आरबीआई गवर्नर

डॉ.उर्जित आर. पटेल, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 मार्च 2018 को गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर में उद्घाटन वक्तव्य में 'बैंकिंग विनियामकीय शक्तियां स्वामित्व निरपेक्ष होनी चाहिए' विषय पर विचार-विमर्श किया।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में हाल की धोखाधड़ी के संदर्भ में बैंकों के विनियमन, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विनियमन में मौजूदा कुछ मौलिक दरारों पर प्रकाश डालते हुए गवर्नर ने कहा कि सफलता का श्रेय अनेक लोग लेते हैं, असफलता का कोई नहीं होता। इसलिए, इस मामले में भी हमेशा की तरह आरोप लगाए गए, दोष मढ़े गए और बहुत शोर-शराबा हुआ, जिसमें अधिकतर बिना सोचे समझे तुरंत दी गई अल्पकालिक प्रतिक्रियाएं थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कोलाहल ने सहभागियों को ऐसे मूलभूत मुद्दों पर गहराई से विचार करने और आत्म-परीक्षण करने से रोका जो बैंकिंग क्षेत्र में ऐसी धोखाधड़ियों और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मूल कारण हैं, जो कि वास्तव में अत्यंत नियमित हैं।

गवर्नर ने अपने भाषण में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण, विशेषकर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (स्पार्क) के माध्यम से व्यापक और पूर्वानुमान पर्यवेक्षी कार्यक्रम पर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित हाल की एफएसएसए (वित्तीय प्रणाली स्थिरता आकलन) रिपोर्ट पर दी गई टिप्पणियों को उद्धृत किया।

तथापि, गवर्नर ने यह भी कहा कि भारत के लिए 2017 का वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी) में अनेक बिंदुओं पर अफसोस व्यक्त किया गया कि बैंकों पर रिज़र्व बैंक की विनियामकीय शक्तियां बैंक स्वामित्व के प्रति तटस्थ नहीं हैं। प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण पर मूलभूत मुख्य सिद्धांतों (बीसीपी) पर विस्तृत आकलन रिपोर्ट (डीएआर) का संदर्भ देते हुए, गवर्नर ने डीएआर में की गई टिप्पणियों को उद्धृत किया सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पर्यवेक्षण और नियमन के लिए रिज़र्व बैंक की विधिक शक्तियां भी सीमित हैं- यह पीएसबी के निदेशकों या प्रबंधन, जिन्हें भारत सरकार (जीओआई) ने नियुक्त किया है, को हटा नहीं सकता है, न ही वह किसी पीएसबी के बलात विलयन अथवा परिसमापन की शुरुआत कर सकता है; इसके (आरबीआई) पास पीएसबी बोर्ड को कार्यनीतिक निदेश, जोखिम प्रोफाइल, प्रबंधन का मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति के संबंध में जवाबदेह बनाने के लिए भी सीमित विधिक प्राधिकार हैं। इस प्रकार, पीएसबी के लिए उन्हीं जिम्मेदारियों का प्रयोग करने के लिए, जो अभी निजी बैंकों पर लागू हैं, तथा पर्यवेक्षी प्रवर्तन के लिए समान अवसर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई को सशक्त करने के लिए विधिक सुधार किया जाना अत्यंत वांछनीय है। कॉर्पोरेट अभिशासन पर, रिज़र्व में पाया गया कि विधि के अधीन तथा रीति के अनुसार आरबीआई पीएसबी बोर्डों को मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता है तथा जब आवश्यक हो कमजोर तथा गैर-निष्पादक वरिष्ठ प्रबंध तंत्र और सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड के सदस्यों को बदल नहीं सकता है।

भारत में बैंकिंग विनियामकीय शक्तियां स्वामित्व तटस्थ नहीं है

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर रिज़र्व बैंक की शक्तियों पर विस्तार से बताते हुए गवर्नर ने कहा कि:

- आरबीआई पीएसबी के निदेशकों और प्रबंधन को हटा नहीं सकता, क्योंकि बीआर पीएसबी पर लागू नहीं है।
- बीआर अधिनियम जिसमें किसी बैंक के बोर्ड के अधिक्रमण का प्रावधान है, भी पीएसबी (तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या आरआरबी) के मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि वे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां नहीं हैं।
- बीआर अधिनियम जिसमें किसी बैंकिंग कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) को हटाने का प्रावधान है, भी पीएसबी के मामले में लागू नहीं है।
- बीआर अधिनियम की धारा 45 के अनुसार आरबीआई पीएसबी के मामले में विलयन के लिए विवश नहीं कर सकता है।
- पीएसबी को बैंकिंग कार्यकलापों के लिए बीआर अधिनियम के अंतर्गत आरबीआई से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है; इसलिए आरबीआई बीआर अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस रद्द नहीं कर सकता है, जैसा कि वह निजी बैंकों के मामले में कर सकता है।
- रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत पीएसबी के परिसमापन की शुरुआत नहीं कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त, यह एक विलक्षण अपवाद जैसा है कि कुछ मामलों में प्रबंध निदेशकों और चेयरमेनों की द्विविधता है वे एक ही हैं - यह मानते हुए कि एमडी प्राथमिक रूप से केवल स्वयं के प्रति ही जवाबदेह है।

गवर्नर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस विधिक वास्तविकता के कारण बैंकिंग विनियमन क्षेत्र के परिदृश्य में एक गहरी दरार उत्पन्न हो गई है: आरबीआई के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय द्वारा दोहरे विनियमन की प्रणाली। इस दरार या दोष लाइन की परिणति अभी हाल की धोखाधड़ी जैसे भूचालों में होनी ही है।

बैंकों में (या निगमों में), चाहे सरकारी क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के हो, कर्मचारी या कर्मचारियों के स्तर पर धोखाधड़ी में लिप्त होने का प्रलोभन हमेशा मौजूद रहता है। अब प्रश्न यह है कि क्या धोखाधड़ी करने के लिए कर्मचारियों को समुचित निवारण का सामना करना पड़ता है और क्या धोखाधड़ी प्रतिरोधक उपाय करने हेतु प्रबंधन के लिए पर्याप्त नकद प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। बैंकों के मामले में धोखाधड़ियों के विरूद्ध अनुशासन के लिए गवर्नर ने तीन संभाव्य सशक्त तंत्रों का समर्थन किया जिनमें (i) धोखाधड़ी की आपराधिक जांच और दंड के प्रावधान के जरिए जांचपरक/सतर्कतामूलक/विधिक भय; (ii) धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने या कम करने के लिए अभिशासन तंत्रों को शुरू करके बाजार अनुशासन और/या धोखाधड़ी घटने पर हानियां सहन करने के लिए पूंजी संरचना में बड़े बफर रखना तथा (iii) विनियामक द्वारा पहचान और दंड के माध्यम से विनियामकीय अनुशासन शामिल है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए गवर्नर ने कहा कि कम से कम इतना किया जाना आवश्यक है कि बीआर अधिनियम में ऐसे विधायी परिवर्तन किए जाएं जिनसे हमारी बैंकिंग विनियामक शक्तियां स्वामित्व-निरपेक्ष हो सकें - आंशिक रूप से नहीं, पूरी तरह। उपलब्ध विकल्पों में से फिलहाल यही संभवत: सबसे व्यवहार्य भी है।

कोई भी बैंकिंग रेगुलेटर समस्त धोखाधड़ी को न तो पकड़ सकता है, न ही रोक सकता है

इस बात पर जोर देते हुए कि किसी भी बैंकिंग रेगुलेटर के लिए सामान्यतः नामुमकिन होगा कि वह बैंकिंग गतिविधियों के प्रत्येक कोने तक पहुंच सके और अपनी मौजूदगी से धोखाधड़ी की संभावनाओं को समाप्त कर सके, गवर्नर ने कहा कि यहां आवश्यकता इस बात की है कि धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उन्हें पकड़ने के लिए विभिन्न प्रणालियां हों ताकि धोखाधड़ी की घटनाओं को कम किया जा सके तथा ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके। वस्तुत:, बैंकों में होने वाली धोखाधड़ी की घटनाएं विभिन्न काल में भिन्न बैंकिंग रेगुलेटरी गुणवत्ता सहित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों में घटित हुई हैं। हाल की धोखाधड़ी की घटना का संदर्भ देते हुए गवर्नर ने कहा कि रिज़र्व बैंक ने

साइबर जोखिम दृष्टिकोण के आधार पर परिचालनगत खतरे के सही स्रोत का पता लगाया और तद्नुसार 2016 में तीन परिपत्रों के माध्यम से स्पष्ट अनुदेश जारी किए थे ताकि बैंक इस तरह के संकट से बच सकें और बैंक ने इन अनुदेशों पर कार्य नहीं किया था।

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान जैसे बड़े मुद्दों पर पुन: ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता

गवर्नर ने अपने उद्घाटन भाषण में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के बड़े मुद्दे पर पुनः ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और इस ओर ध्यान आकर्षित कराया। इस संदर्भ में गवर्नर ने दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान और समाधान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित ढांचे के पीछे के तर्क को भी प्रस्तुत और स्पष्ट किया तथा संशोधित ढांचे की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के महत्व पर जोर देते हुए गवर्नर ने कहा कि रिज़र्व बैंक का विश्वास है कि स्पष्ट रूप से यह एक मूलभूत सुधार है जिसकी आवश्यकता क्रेडिट-संस्कृति को उसके मूल स्थान, चूक के स्थान, आस्ति गुणवत्ता के स्थान तथा समाधान के चरणों पर सुदृढ़ बनाया जा सके। ऐसा करने से, सबसे पहले ऋण देने से संबंधित धोखाधड़ी करने वाले अवसरों को कमज़ोर किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

अपने निष्कर्ष में गवर्नर ने उन कदमों को रेखांकित किया जो देश के क्रेडिट-कल्चर को साफ-सुथरा बनाने के लिए किए हैं- खासतौर से रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों में एनपीए के तत्काल निर्धारण एवं उनके समाधान के लिए 12 फरवरी को घोषित व्यापक विनियामकीय ओवरहाल ये उपाय मौजूदा दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में अमृत-मंथन अथवा समुद्र-मंथन की प्रक्रिया में मंदार पर्वत अथवा मंथन-आधार के समान हैं। जब तक कि यह मंथन कार्य पूरा नहीं हो जाता तथा देश के भविष्य के लिए स्थिरता रूपी अमृत हासिल नहीं कर लिया जाता तब तक इस मंथन से उत्पन्न विष को किसी न किसी को तो पीना ही पड़ेगा। गवर्नर ने आगे कहा कि यदि रिज़र्व बैंक को इन अड़चनों का सामना करना पड़े तथा इस विष को पीकर नीलकंठ बनना पड़े, तो भी रिज़र्व बैंक ऐसा करके अपना कर्तव्य निभाएगा; यह अपने प्रयासों में कामयाब होगा और इस परीक्षण एवं विपत्ति की इस घड़ी में हर क़दम पर बेहतर सिद्ध होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अधिक से अधिक प्रवर्तक एवं बैंक-व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से अपने उद्योग की निकायों के साथ इस अमृत-मंथन में असुरों का साथ देने के बजाय देवताओं का साथ देने पर विचार करेंगे।

गवर्नर ने सरकार, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्वामी है, से निम्नानुसार महत्वपूर्ण योगदान करने पर विचार करने की अपील के साथ अपना भाषण पूरा किया-

(i) बैंकिंग विनियामक शक्तियों को बैंक के स्वामित्व से तटर्थ किया जाए तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच कार्यक्षेत्र को समान स्तर पर बनाया जाए।

(ii) स्वयं को इस बात से अवगत रखकर कि आगे चलकर दुर्लभ राष्ट्रीय राजकोषीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके उसका इष्टतम इस्तेमाल करते हुए सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली के साथ क्या किया जाना चाहिए।

बैंकिंग प्राधिकार (फ्रैंचाइज) के अभिशासन की डिजाइनिंग और कार्यान्वयन के लिए गवर्नर ने विचार व्यक्त किया कि विनियामकीय एवं बाज़ार का अनुशासन बहाल करना बैंकों पर केंद्रीकृत सरकारी नियंत्रण की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में किए जाने वाले इन सुधारों के साथ-साथ अन्य संरचनागत सुधारों के माध्यम से भारत सतत रूप से एवं सम्मानित तरीके से उन्नति कर सकेगा। (https://rbi.org.in/Scripts/BSšSpeechesView.aspx?Id=1054)

आरबीआई मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू मार्च 2018 से संबंधित स्वामित्व और अन्य ब्यौरे के बारे में विवरण

फार्म IV

1. प्रकाशन का स्थान	:	मुंबई
2. प्रकाशन की आवधिकता	:	मासिक
3. संपादक, प्रकाशक और	:	जोस.जे.कट्टूर
प्रिंटर का नाम, राष्ट्रीयता और पता	:	भारतीय
	:	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई- 400001
व्यक्ति का नाम और पता जिसके पास न्यूजपेपर का स्वामित्व है	:	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई- 400001

मैं, जोस जे.कट्टूर, एतद्वारा घोषित करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं ।

हस्ता/-
जोस जे.कट्टूर
प्रकाशक के हस्ताक्षर
दिनांक: 1 मार्च 2018

वर्किंग पेपर

अरैखीय, असममितिक और समय भिन्नता वाली विनिमय दर पास-थ्रू

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 मार्च 2018 को अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर श्रृंखला के अंतर्गत 'अरैखीय, असममितिक और भिन्नकालिक विनिमय दर पास-थ्रू: भारत से हाल के साक्ष्य' शीर्षक से एक वर्किंग पेपर उपलब्ध कराया है। यह पेपर माइकल देबब्रत पात्र, जीवन कुमार खुंद्राकपम और जॉइस जोन द्वारा लिखा गया है।

मौद्रिक नीति बनाने के लिए उपभोक्ता मूल्य मामलों की तुलना में विनिमय दर पास-थ्रू (ईआरपीटी) जो नीति निर्माता को उस सीमा के बारे में जानकारी देता है जिस सीमा तक घरेलू मुद्रास्फीति आयातित प्रभावों के प्रति बंधक है। अप्रैल 2005 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए अरैखिकताओं और समय भिन्नताओं को तलाशते हुए यह पेपर निष्कर्ष निकालता है कि भारत में ईआरपीटी वर्ष 2014 तक बढ़ रहा था किंतु तब से इसमें कमी आ रही है, जो लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचे के अंतर्गत मुद्रास्फीति में कमी और विनिमय दर अस्थिरता दर्शाता है, इस ढांचे को वस्तुतः 2015 से और कानूनी तौर पर वर्ष 2016 से अपनाया गया है। खुलेपन के स्तर में संरचनात्मक बदलाव और पण्य-वस्तु कीमतों में परिवर्तन अन्य प्रभावी कारक है जो भारत में ईआरपीटी के आकार का निर्धारण करते हैं। अरैखीय और समय-भिन्नता वाली ईआरपीटी के नीतिगत निहितार्थ की समष्टि-आर्थिक सामान्य संतुलन ढांचे में जांच की गई है और परिणाम दर्शाते हैं कि मौद्रिक नीति अंतरण लघु मूल्यह्रास की अवधि के दौरान सबसे मजबूत रहा है। तथापि, घरेलू मुद्रास्फीति में इन विनिमय दर बदलावों का अंतरण भी मजबूत होगा जो असंभाव्य दुविधा को तेज कर देगा।

(https://rbi.org.in/Scripts/BSšPressReleaseDisplay.aspx?prid=43364)

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।